

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सरफेसी एक्ट वाद संख्या-60/2021

एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि०

बनाम

देवकी देवी वगै०

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

25/02/2022

- आदेश -

अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० द्वारा Under Section-14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 के तहत ऋणकर्ता (1) Deoki Devi, W/o-Late Asto Munda, H/No.-48 Garharpar Near Durga Mandap, Vill.-Borobing, P.O.-Barki Pona, P.S.-Rajrappa, Murubanda Chittarpur Patratu, Distt.-Ramgarh, State-Jharkhand, Pin code-829122, (2) Tiwari Kumar Toppo (Guarantor), S/o-Harkhu Munda, At-114 Ganadevti Tungri, At-Mayal, P.S.-Rajrappa, Mayal Distt.-Ramgarh, State-Jharkhand के विरुद्ध गिरवी रखे गये सम्पत्ति/भूमि निबंधन केवाला संख्या-3232, दिनांक-20.10.2014 से प्राप्त भूमि मौजा-कोठार, थाना नं०-88, थाना-रामगढ़ अंतर्गत खाता नं०-35, प्लॉट नं०-2105, कुल रकवा-05 डि० भूमि, जिसकी चौहदी उ०-गोपाल महतो, द०-तिवारी कुमार टोप्पो, पू०-निज एवं प०-चुटूवा मुण्डा भूमि तथा भूमि पर बनी संरचना पर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु दायर आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए ऋणकर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

नोटिस प्राप्ति के उपरान्त ऋणकर्ता द्वारा लगातार अनुपस्थित रहने के कारण विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ एवं प्राधिकृत पदाधिकारी एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में एकपक्षीय सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया जा रहा है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि Under sub-Section (2) of Section-13 of the SARFAESI Act, 2002 के तहत बैंक के द्वारा नोटिस निर्गत किया गया है एवं बैंक के द्वारा ई-नीलामी बिक्रय सूचना प्रकाशन के फलस्वरूप सेक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल एसेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002 की धारा-14 के तहत ऋणकर्ता से सम्बन्धित सम्पत्ति पर दखल कब्जा हेतु न्यायालय में अनुरोध किया गया है, जो विधिवत एवं न्याय-संगत है। ऋणकर्ता द्वारा समय (ऋण की राशि जमा करने हेतु निर्धारित समय, जो अस्पष्ट है) हेतु किये गये अनुरोध को खारिज करने एवं बैंक द्वारा दखल-कब्जा के सम्बन्ध में किये गये अनुरोध को स्वीकार करने योग्य तथा विधि-संगत है।

82

अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा-कोठार, थाना नं०-88, थाना-रामगढ़ अंतर्गत खाता नं०-35, प्लॉट नं०-2105, कुल रकबा-05 डि० भूमि सर्वे खतियान में फुचु मुण्डा के नाम से रैयती दर्ज है। उक्त भूमि परमिशन वाद संख्या-152/2014-15 के द्वारा स्वीकृति के उपरान्त खतियानी रैयत के वारिसान लक्ष्मण मुण्डा, पिता-लटा मुण्डा द्वारा निबंधित केवाला संख्या-3232, दिनांक-20.10.2014 के द्वारा देवकी देवी, पति-अस्टो मुण्डा, ग्राम-मायल को बिक्री किया गया है। दाखिल-खारिज वाद संख्या-1503/2014-15 से स्वीकृति के उपरान्त पंजी-II के पृष्ठ संख्या-17/6 पर देवकी देवी के नाम से जमाबन्दी कायम है तथा लगान रसीद निर्गत की गई है। वर्तमान में उक्त भूमि में मकान निर्माणाधीन है।

निष्कर्ष :-

U/s-14 of the SARFAESI Act, 2002 के तहत एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० से प्राप्त आवेदन एवं अंचल अधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना, स्पष्ट है कि :-

1. एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० द्वारा पूर्व में ही Recall Notice Under section 13(2) of the securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 के तहत ऋणकर्ता को किया गया है। Bombay High Court Judgment in case of M/s Trade well & others V/s Indian Bank in Cr WP No.-2767 of 2006 clearly lays down as follows :- "In our opinion, at the time of passing order under section 14 of the NPA Act, the CMM/DM will have to consider only two aspects, He must find out whether the secured asset falls within his territorial jurisdiction and whether notice under section 13(2) of NPA Act is given or not, No adjudication of any Kind is contemplated at that stage."

2. एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० द्वारा समर्पित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणकर्ता के द्वारा नोटिस प्राप्ति के उपरान्त ऋण की राशि वापस करने के संदर्भ में कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है।

3. अंचल अधिकारी, रामगढ़ से प्रश्नगत भूमि के संदर्भ में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि, भूमि रैयती खाते की है। परमिशन वाद संख्या-152/2014-15 के द्वारा स्वीकृति के उपरान्त खतियानी रैयत के वारिसान लक्ष्मण मुण्डा, पिता-लटा मुण्डा द्वारा निबंधित केवाला संख्या-3232, दिनांक-20.10.2014 के द्वारा देवकी देवी, पति-स्व० अस्टो मुण्डा, ग्राम-मायल को बिक्री किया गया है, जिसकी जमाबन्दी दाखिल-खारिज वाद संख्या-1503/2014-15 से स्वीकृति के उपरान्त पंजी-II के पृष्ठ संख्या-17/6 पर देवकी देवी के नाम से कायम है तथा लगान रसीद निर्गत है।

आदेश :-

विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से प्राप्त मन्तव्य से सहमत होते हुए सरफेसी एक्ट-2002 की धारा-14 (1 एवं 2) में निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० के द्वारा किये गये अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि एवं उस पर निर्मित संरचना (निबंधन केवाला संख्या-3232, दिनांक-20.10.2014 से प्राप्त भूमि मौजा-कोठार, थाना नं०-88, थाना-रामगढ़ अंतर्गत खाता नं०-35, प्लॉट नं०-2105, कुल रकवा-05 डि० भूमि, जिसकी चौहदी उ०-गोपाल महतो, द०-तिवारी कुमार टोप्पो, पू०-निज एवं प०-चुटूवा मुण्डा) को जप्त कर दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित एल०आई०सी० हाउसिंग फाईनेंस लि० को अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त कार्रवाई के क्रम में विधि-व्यवस्था संधारन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

शाधवी क्रिश्ना

25.02.2022

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

शाधवी क्रिश्ना

25.02.2022

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।